रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102025-266962
CG-DL-E-16102025-266962

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4553] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 15, 2025/आश्विन 23, 1947
No. 4553] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2025/ASVINA 23, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4682(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3032 (अ), दिनांक 22-06-2018 द्वारा, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709बी [(लोनी (दिल्ली) के निकट एनएच-9 के जंक्शन से शुरू होकर बागपत, बड़ौत, शामली को जोड़ने वाला और उत्तर प्रदेश राज्य में सहारनपुर के निकट एनएच-344 के जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग] को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे आगे "प्राधिकरण" कहा जाएगा) को सौंपा है और इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 6392 (अ) दिनांक 31.12.2018 द्वारा, केंद्र सरकार ने एनएच 709 बी के विवरण को संशोधित किया है, जो अक्षरधाम मेट्रो के पास नए एनएच-9 के साथ जंक्शन से शुरू होकर गीता कॉलोनी, शास्त्री पार्क, खजूरी खास, एनसीटी दिल्ली सरकार के केंद्र शासित प्रदेश में, सरद सिटी, पुस्ता रोड मण्डौला, बागपत, बड़ौत, शामली को जोड़ता है और उत्तर प्रदेश राज्य में सहारनपुर के पास एनएच-344 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होता है;

अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात "नियम" कहा जाए), के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा, दिल्ली राज्य संघ राज्य क्षेत्र और उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-709बी के डिजाइन चेनेज किमी 0.000 से किमी 31.600 तक दिल्ली-सहारनपुर राजमार्ग के चार या अधिक लेन के उपयोग के कुल

लंबाई 158.000 किमी (सारणी-2) (कुल समतुल्य लंबाई और निवल खंड लंबाई के पांच गुना के बीच तुलना की गई न्यूनतम लंबाई के रूप में) के लिए सारणी -1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर के आधार पर नीचे दिये गए सारणी -1 के कॉलम (1) मे विनिर्दिष्ट वाहनो के प्रकार पर शुल्क उद्ग्रहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संगृहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत शुल्क ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात:-

<table>
<tr><th colspan="4">सारणी -2</th></tr>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>टोल प्लाजा का स्थान (चेनेज)</th><th>लंबाई (कि.मी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है</th><th>दर जिस पर शुल्क संदेय है</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td>राष्ट्रीय राजमार्ग 709B के किमी 16+340 (बाएँ) और किमी 16+670 (दाएँ) पर (दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा चरण-1)</td><td rowspan="4">158.000^
[संरचना की लंबाई (>60 मीटर) सहित लंबाई के लिए दूरी मैट्रिक्स (सारणी-4) के अनुसार)]

(नीचे गणना के अनुसार कुल समतुल्य लंबाई और कुल खंड लंबाई के पाँच गुना के बीच तुलना की गई न्यूनतम लंबाई के रूप में)</td><td rowspan="4">चार या अधिक लेन के लिए उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%</td></tr>
<tr><td>लोनी टोल प्लाजा, लोनी, गाजियाबाद (यूपी)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td>एनएच-344जी के किमी 3+520 पर (दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा चरण-2)</td></tr>
<tr><td>काठा टोल प्लाजा (मुख्य टोल प्लाजा) (ग्राम-काठा,तहसील-खेकड़ा, जिला-बागपत (उ.प्र.))</td></tr>
</table>

^ उक्त नियमों के नियम 4 के उपनियम 10 के अनुसार लंबाई:-

गणना विधि	मान (किलोमीटर में)
10 x 17.834 (अर्थात्, संरचनाओं की लंबाई का दस गुना*) + 13.766 (अर्थात्, संरचना की लंबाई 17.834 को छोड़कर शुद्ध सड़क की लंबाई)	**192.106**
राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड की कुल लंबाई का पांच गुना (अर्थात 5 x 31.6)	**158.000**

इन दोनों मानों में से कम मान अर्थात 158.000 किमी, वह लम्बाई है जिसके लिए शुल्क लगाया जाएगा।

*60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

सारणी -3					
क्रम सं.	**पैकेज**	**संरचना का प्रकार**	**चैनेज**		**सरचनाओ की लंबाई (किमी में)**
			कि.मी. से	**कि.मी. तक**	
(क)		**(ख)**	**(ग)**		**(घ)**
1	**पैकेज** -1	आरओबी	0.880	1.072	0.192
2		फ्लाईओवर	5.410	11.808	6.398
3	**पैकेज** -2	फ्लाईओवर	18.400	22.124	3.724
4		फ्लाईओवर	23.090	30.610	7.520
		कुल			**17.834**

2. कुल टोल योग्य लंबाई (कुल समतुल्य लंबाई और कुल खंड लंबाई के पांच गुना के बीच की न्यूनतम लंबाई) जिसके लिए शुल्क देय और भुगतान-योग्य होगा, निम्नानुसार है:

सारणी -4		
कुल टोल योग्य सड़क लंबाई के लिए दूरी मैट्रिक्स		
से/ तक	**दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरीडोर चरण-I में प्रारंभिक बिंदु कि.मी 0+000** **लोनी टोल प्लाजा दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरीडोर चरण-I में कि.मी 16+340 (बाएं) और कि.मी 16+670 (दाएं) पर शुल्क प्लाजा**	**काठा टोल प्लाजा दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरीडोर चरण-II में कि.मी 3+520 पर शुल्क प्लाजा**
दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरीडोर चरण-I में प्रारंभिक बिंदु कि.मी 0+000	0	158.000
लोनी टोल प्लाजा दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरीडोर चरण-I में कि.मी 16+340 (बाएं) और कि.मी 16+670		

(दाएं) पर शुल्क प्लाजा		
काठा टोल प्लाजा दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरीडोर चरण-II में कि.मी 3+520 पर शुल्क प्लाजा	158.000	0

3. विभिन्न प्रकार के यातायात संचालन जिनके लिए वास्तविक यात्रा दूरी के आधार पर उपयोगकर्ता शुल्क लिया जाएगा, निम्नानुसार हैं:

सारणी 4ए - दिल्ली से देहरादून तक बाईं ओर यातायात			
क्रम सं.	**कि.मी (लंबाई)**	**प्रवेश**	**निकास**
1	31.600	लोनी टोल प्लाजा (दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरीडोर चरण-I का मुख्य टोल प्लाजा) किमी 16+340, लोनी, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)	काठा टोल प्लाजा (दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरीडोर चरण- II पर मुख्य टीपी) किमी 3+520, ग्राम-काठा, जिला-बागपत
दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरीडोर चरण-II के किमी 8+043 पर टटीरी इंटरचेंज पर उत्तरवर्ती शुल्क प्लाजा (किमी 3+520 पर काठा टोल प्लाजा से 4.523 किमी)			

सारणी 4बी - देहरादून से दिल्ली तक दाएँ हाथ से चलने वाला यातायात			
क्रम सं.	**कि.मी (लंबाई)**	**प्रवेश**	**निकास**
दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरीडोर चरण-II के किमी 8+043 पर टटीरी इंटरचेंज पर पूर्ववर्ती शुल्क प्लाजा (किमी 3+520 पर काठा टोल प्लाजा से 4.523 किमी)			
1	31.600	काठा टोल प्लाजा (दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरीडोर चरण- II पर मुख्य टीपी) किमी 3+520, ग्राम-काठा, जिला-बागपत	लोनी टोल प्लाजा (दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरीडोर चरण-I का मुख्य टोल प्लाजा) किमी 16+670, लोनी, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)

4. किसी भी मुख्य शुल्क प्लाजा से प्रवेश करने वाले वाहन का प्रवेश शुल्क प्लाजा पर रिकॉर्ड किया जाएगा और दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरीडोर चरण-I के संपूर्ण सड़क खंड के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अन्य मुख्य शुल्क प्लाजा पर एकत्र किया जाएगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी 5		
संदेय धनराशि	**अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**विधिमान्यता की अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना*	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई**	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

* बशर्ते कि उपयोगकर्ता वापसी यात्रा करते समय समान प्रवेश और निकास शुल्क प्लाजा का उपयोग करे।

** यह विशेष पास पूरे मार्ग पर चलने वाले यातायात के लिए लागू होगा।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 3728.88 करोड़ रुपए है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. डीएलडीआईवी -20015/51/2025-पीआईयू गाजियाबाद/ई-252931]

चेतना नन्द सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2025

S.O. 4682(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number F. No. S.O. 3032 (E) dated 22.06.2018, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1998), the Central Government has entrusted the National Highway No. 709B, [the highway starting from its junction with NH-9 near Loni (Delhi) connecting Bagpat, Baraut, Shamli and terminating at its junction with NH-344 near Saharanpur in the state of Uttar Pradesh] to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority") and further by the notification number F. No. S.O. 6392 (E) dated 31.12.2018, issued under sub section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has amended the description of NH 709 B as the highway starting from its junction with new NH-9 near Akshardham Metro connecting Geeta Colony, Shastri Park, Khajoori Khas in the Union Territory of Government of NCT of Delhi, Sarad City, Pusta road Mandula, Baghpat, Baraut, Shamli and terminating at its junction with NH-344 near Saharanpur in the state of Uttar Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table-1 for the total length of **158.000** km (Table-2) (as a minimum length compared between total equivalent length and five times of total section length) on the type of vehicle specified in column (1) of Table-1 below, for use of four or more lane of Delhi-Saharanpur-Highway starting from Design Chainage Km. 0.000 to km. 31.600 of NH-709B in the Union Territory of Delhi and state of Uttar Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely :-

Table-1	
Type of Vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**

(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Over-Sized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected here under shall be due and payable at the Fee Plaza for the net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:

Table-2

S.No.	Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which the fee is payable
1	2	3	4
1	At Km 16+340 (LHS) & Km 16+670 (RHS) of NH-709B (Delhi-Dehradun Economic Corridor Phase-1)	**158.000^** [As per the distance matrix **(Table-4)** for the length including length of structure (>60 m)] (as a minimum length compared between total equivalent length and five times of total section length as calculated below)	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Loni Toll Plaza, Loni, Ghaziabad (U.P.)		
2	At Km 3+520 of NH-344G (Delhi-Dehradun Economic Corridor Phase-2)		
	Katha Toll Plaza (Main TP) (Vill-Katha,Tehsil-Khekada, District-Baghpat (U.P.))		

^ Length as per Sub-rule 10 of Rule 4 of the said rules:-

Calculation Method	Value (in kilometers)
10 x 17.834 (i.e., ten times length of structures*) + 13.766 (i.e., net road length excluding length of structure of 17.834)	**192.106**
Five times the total length of the section of national highway (i.e., 5 x 31.6)	**158.000**

The lesser of these two values i.e. 158.000 km, is the length for which the fee to be levied.

*The details of structures having length more than 60m are as under:

Table-3

Sr. No.	Package	Type of Structure	Chainage		Length of Structure (in kilometre)
			From Km	To Km	
(a)		(b)	(c)		(d)
1	Pkg-1	ROB	0.880	1.072	0.192
2		Flyover	5.410	11.808	6.398
3	Pkg-2	Flyover	18.400	22.124	3.724
4		Flyover	23.090	30.610	7.520

		Total	**17.834**

2. The total tollable length (minimum length compared between total equivalent length and five times of total section length) for which fee shall be due and payable is as under:

Table-4		
Distance matrix for total tollable road length		
From/To	**Starting Point Km 0+000 in Delhi-Dehradun Economic Corridor Phase-I** **Loni Toll Plaza** **Fee plaza at Km 16+340 (LHS) & Km 16+670 (RHS) in Delhi-Dehradun Economic Corridor Phase-I**	**Katha Toll Plaza** **Fee Plaza at Km 3+520 in Delhi-Dehradun Economic Corridor Phase-II**
Starting Point Km 0+000 in Delhi-Dehradun Economic Corridor Phase-I	0	158.000
Loni Toll Plaza **Fee plaza at Km 16+340 (LHS) & Km 16+670 (RHS) in Delhi-Dehradun Economic Corridor Phase-I**		
Katha Toll Plaza **Fee Plaza at Km 3+520 in Delhi-Dehradun Economic Corridor Phase-II**	158.000	0

3. The various types of traffic movements for which the user fee will be charged on the basis of actual distance travelled is as under:

Table 4a - Traffic plying on LHS from Delhi to Dehradun			
S/No.	**Km (length)**	**Entry From**	**Exit To**
1	31.600	Loni Toll Plaza (Main TP at **Delhi-Dehradun Economic Corridor Phase-I)** at Km 16+340, Loni, Ghaziabad (U.P.	Katha Toll Plaza (Main TP at **Delhi-Dehradun Economic Corridor Phase-II**) at Km 3+520 , Vill-Katha, District-Baghpat
Succeeding Fee Plaza at Tatiri Interchange at Km. 8+043 of **Delhi-Dehradun Economic Corridor Phase-II** (**4.523 Kms from Katha Toll Plaza at Km. 3+520)**			

Table 4b - Traffic plying on RHS from Dehradun to Delhi			
S/No.	**Km (length)**	**Entry From**	**Exit To**
Preceding Fee Plaza at Tatiri Interchange at Km. 8+043 of **Delhi-Dehradun Economic Corridor Phase-II** (**4.523 Kms from Katha Toll Plaza at Km. 3+520)**			
1	31.600	Katha Toll Plaza (Main TP at **Delhi-Dehradun Economic Corridor Phase-II**) at Km 3+520 , Vill-Katha, District-Baghpat	Loni Toll Plaza (Main TP at **Delhi-Dehradun Economic Corridor Phase-I**) at Km 16+670, Loni, Ghaziabad (U.P.

4. The vehicle entering from any Main Fee Plaza will be recorded at the Entry fee Plaza and user Fee will be collected at other Main Fee Plaza for the entire road section of **Delhi-Dehradun Economic Corridor Phase-I**.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table-5		
Amount Payable	**Maximum number of one- way journeys allowed**	**Period of Validity**

One and half times of the fee for one-way journey*	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys**	Fifty	One month from date of payment

* Provided that the user uses the same entry and exit fee plazas while performing the return journey.

** This particular pass will be applicable for traffic plying on complete stretch.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

10. The estimated capital cost of the project is Rs. **3728.88 Cr**. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. DLDIV-20015/51/2025-PIU Ghaziabad/E-252931]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.10.16 16:14:58 +05'30'